

प्रकरण सं - 20, असीत गोपाल 1/5 अन्नबाई वि. वि. - 10/7/2025

ता.दि. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाना हुकम व में च
16/5/2025	जिला अडिक्सायन जंघ, टोंक द्वारा व्हायिक कर्म स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते पैरा करने कायम- मुकस रैस्पौ. सं. 1 तथा तलवान नोटिस रैस्पौ. सं. 2 दिनांक 10/7/2025 की पैरा है। P.O. सा. शलकार्य के बाहर पधारै है।	
10/7/2025	अडिक्सायन अपीलान्त अनु.। अडिक्सायन ने आज भी रैस्पौडेण्ट्स के तलवान नोटिस पैरा नहीं किए हैं। अडिक्सायन ने अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद भी वर्ष 2024 के पश्चात तलवान नोटिस पैरा नहीं किए हैं। अतः अपील तलवान नोटिस के अभाव में ऑर्डर 3 निम्न 5 संदर्भ धारा CPC में खारिज किया जाता है। प्राथमिक स्थगन भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फेरुल शुमार होकर वाट तकमील जाता ताखिल इफ्तर की जावे। NAL खुदिराम जिला कलेक्टर टोंक	